



भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

File No. KAU/08/2017/STGMP/SEHRMT/RU-III

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,  
खान मार्केट,  
नई दिल्ली-110003  
दिनांक: 03/07/2018

सेवा में,

- अपर मुख्य सचिव,  
वित्त विभाग,  
मध्य प्रदेश शासन,  
वल्लभ भवन, भोपाल  
(मध्य प्रदेश)

विषय: कु. अर्चना उईके, उप संचालक निधि संपरीक्षा के वेतन भत्तों के भुगतान के वित्त मंत्रालय म.प्र. शासन भोपाल के आदेश दिनांक 23/04/2018 के निरंतर अवेहलना बाबत - कुमारी अर्चना उईके मकान न. 46, फ्रेण्डस कालोनी, खजरी रोड, जिला छिंदवाड़ा, (मध्य प्रदेश) का अभ्यावेदन ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर आयोग के समसंख्यक सीटिंग नोटिस दिनांक 25/06/2018 का संदर्भ ग्रहण करें। इस संदर्भ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जो सीटिंग 05.07.2018 को 12.00 बजे होने वाली थी अब वह 12.07.2018 को 12.00 बजे निर्धारित की गई है ।

निर्देशानुसार, आपसे अनुरोध है कि सभी दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि और समय पर बैठक में स्वयं उपस्थित होने का कष्ट करें अथवा विभाग के सचिव स्तर के अधिकारी, जो विषय पर जानकारी रखते हों तथा निर्णय लेने में सक्षम हों, को भेजें। कृपया बैठक हेतु संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा अथवा उनके अधीनस्थ किसी अधिकारी को न भेजा जाए ।

भवदीय

(आर. के. दुबे)

सहायक निदेशक

दूरभाष-24601346

प्रतिलिपि:

कुमारी अर्चना उईके  
मकान नं. 46, फ्रेण्डस कालोनी,  
खजरी रोड, जिला छिंदवाड़ा,  
(मध्य प्रदेश)-480001